(भारत का राजपत्र, असाधारण के भाग–**III**, खंड–4 में **प्रकाशित**)

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

जी. संख्या 31 **नई दिल्ली**, 19 जनवरी, 2010

अधिसूचना

महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 48 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण एतद्द्वारा संलग्न आदेशानुसार, जेएनपीटी कंटेनर टर्मिनल और शैलो वॉटर बर्थों में आने वाले जलयानों से कूड़ा इकट्ठा करने के लिए प्रभारों के निर्धारण हेतु जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास से प्राप्त प्रस्ताव का निपटान करता है।

(रानी जाधव)
अध्यक्षा

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

मामला सं. टीएएमपी/7/2009–जेएनपीटी

जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास ---- आवेदक

आदेश

(दिसम्बर, 2009 के 30वें दिन पारित)

जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास (जेएनपीटी) ने अपने पत्र दिनांक 3 फरवरी 2009 द्वारा जेएनपीटी कंटेनर टर्मिनल (जेएनपीसीटी) और शैलो वॉटर बर्थों (एसडब्ल्यूबी) में आने वाले पत्तन क्रॉफ्टों और जलयानों से कूड़ा इकट्ठा करने के लिए प्रभारों के निर्धारण हेतु एक प्रस्ताव अग्रेषित किया है।,

2.1. जेएनपीटी द्वारा कही गई प्रमुख बातों को नीचे सारबद्ध किया गया है:–

(i). जेएनपीटी 'मारपोल' 73/78 के अनुबंध V, विनियम 7 के अनुसार जेएनपीटी द्वारा प्रचालित कंटेनर टर्मिनल और शैलो वॉटर बर्थों (एसडब्ल्यूबी) में आने वाले जलयानों और पत्तन क्रॉफ्टों को कूड़ा स्वागत सुविधा प्रदान करता है।

(ii). वर्तमान में, जेएनपीटी निजी ठेकेदार की सेवाएं लेते हुए जलयानों और पत्तन क्रॉफ्टों द्वारा सृजित कूड़े को इकट्ठा, परिवहन और निपटान करता है। पत्तन द्वारा यह सुविधा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाती है।

(iii). तथापि, जेएनपीटी ने उक्त सेवा पर प्रभार वसूल करने का निर्णय लिया है। चूंकि जेएनपीटी दरमान विशिष्ट दर निर्धारित नहीं करता है, इसलिए जेएनपीटी 2005 के प्रशुल्क दिशानिर्देशों के खंड 2.17.2 के अनुसार 15 जनवरी 2009 से उक्त सुविधा प्राप्त करने के लिए रु0 500/– प्रति जलयान/किराये पर लिया गया पत्तन क्रॉफ्ट प्रभार तदर्थ आधार पर तब तक वसूल कर रहा है जब तक टीएएमपी द्वारा दर अनुमोदित और अधिसूचित नहीं किया जाता है।

(iv). पूछताछ करने पर, न्हावा शेवा इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल लिमिटेड (एनएसआईसीटी) ने सूचित किया है कि वे कूड़ा स्वागत सुविधा के लिए रु0 500/– प्रति टन का प्रशासनिक प्रभार वसूल करते हैं और तेलीय बेकार सामानों (स्लज ऑयल) के लिए हर बार रु0 5000/– वसूल करते हैं।

(v). गेटवे टर्मिनल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (जीटीआईपीएल) के वेस्ट मेनेजमेंट प्लॉन के अनुसार, बेकार सामग्री स्वागत सुविधा मामला–दर–मामला आधार पर प्रभार–योग्य आधार पर है।

(vi). प्रस्तावित प्रभार एक न्यूनतम प्रभार है और पर्यावरण संरक्षण में सहायता प्रदान करता है।

(vii). यह व्यावहारिक नहीं है कि उक्त प्रभार के लिए लागतकरण उपलब्ध करवाया जाए।

2.2. जेएनपीटी का प्रस्ताव कूड़ा इकट्ठा करने के लिए रु0 500/– प्रति जलयान/पत्तन क्रॉफ्ट प्रति आगमन की राशि वसूल करने के लिए है।

3.1. निर्धारित परामर्शी प्रक्रिया के अनुसार, जेएनपीटी से प्राप्त प्रस्ताव संबद्ध उपयोक्ताओं/उपयोक्ता संगठनों और सीमाशुल्क विभाग को उनकी टिप्पणियों के लिए अग्रेषित किया गया था।

3.2. आईएमसी की टिप्पणियों की प्रति जेएनपीटी को प्रतिपुष्टि सूचना के रूप में अग्रेषित की गई थी। जेएनपीटी ने आईएमसी की टिप्पणियों पर कोई प्रतिसाद नहीं दिया है।

4. प्रस्ताव की प्राथमिक संवीक्षा करने पर, जेएनपीटी से अतिरिक्त सूचना/स्पष्टीकरण भेजने का अनुरोध किया गया था। जेएनपीटी से मांगी गई सूचना और जेएनपीटी का प्रतिसाद नीचे तालिकाबद्ध किया गया है:–

क्र.सं.	हमारे द्वारा मांगी गई सूचना	जेएनपीटी का जवाब
(i).	जेएनपीटी द्वारा प्रस्तावित प्रभार की तदर्थ आधार पर वसूली 2005 के प्रशुल्क दिशानिर्देशों के खंड 2.17.1 से 2.17.4 के अनुसार प्रतीत नहीं होती है। प्रशुल्क दिशानिर्देशों के अनुसार, जब कभी किसी सेवा/कार्गो	(i). यह पत्तन अनुबंध V के विनियम 7 (1) के अधीन 'मारपोल' की अपेक्षा के अनुसार कूड़ा इकट्ठा करने की सुविधा प्रदान कर रहा है। यह सेवा जलयानों के लिए 15–1–2009 तक निःशुल्क थी।

<table>
<tr>
<td></td>
<td>के लिए अधिसूचित दरमान में विशिष्ट प्रशुल्क उपलब्ध न हो तो पत्तन प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकता है और दरों को अंतिम रूप से अधिसूचित किए जाने तक यह दर तदर्थ आधार पर वसूल कर सकता है। इस प्रयोजन के लिए, तदर्थ दर तुलनीय सेवाओं/कार्गो के लिए मौजूदा अधिसूचित प्रशुल्क के आधार पर अवश्य विपथित करना होगा और इसके लिए पत्तन और संबद्ध उपयोक्ता परस्पर रूप से अवश्य सहमत होने चाहिएं। वर्तमान मामले में, कूड़ा इकट्ठा करने के लिए प्रस्तावित प्रभार की वसूली न तो मौजूदा अधिसूचित प्रशुल्क पर आधारित है न ही पत्तन ने यह दर्शाने के लिए दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं कि प्रस्तावित वसूली के लिए प्रासंगिक उपयोक्ताओं की सहमति है। जेएनपीटी इस स्थिति को स्पष्ट करे और यह दर्शाने के लिए दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करे कि प्रस्तावित दर की तदर्थ आधार पर वसूली के लिए प्रासंगिक उपयोक्ताओं की सहमति है।</td>
<td rowspan="2">
(ii). कूड़ा इकट्ठा करना और विनियुक्त डम्पिंग साइट पर निपटान पीएपी लेबर कॉपरेटिव सोसायटी के माध्यम से किया जा रहा है। क़रार में 21 सं. जेट्टी सीढ़ियों की सफाई और जलयानों से कूड़ा इकट्ठा करना शामिल है। वर्तमान क़रार एक वर्ष की अवधि के लिए, 5 प्रतिशत वृद्धि के साथ दूसरे 1 वर्ष के लिए विस्तार–योग्य है, 4–4–2009 से वैध है। वार्षिक करार मूल्य हैः–
(क). 21 सं. जेट्टी सीढ़ियों की सफाई = 21 सीढ़ियाँ X रु0 62/सीढ़ी/दिन = 4,75,230.00
(ख). जेएनपीटी बर्थों/लंगरगाह में जलयानों से कूड़ा हटाना और निपटान के लिए प्रभार = रु0 1200/प्रतिमाह X 12 माह = 1,44,000.00
(iii). जलयानों/किराये पर लिए गए पत्तन क्रॉफ्टों से कूड़ा इकट्ठा करने के लिए प्रभार (रु0 500 + सेवा कर प्रति आगमन) 15 जनवरी 2009 से वसूल किया जा रहा है।
(iv). प्रभार वसूल करने से पहले, कूड़ा ठेकेदार को 15–1–2009 से प्रतिदिन जलयानों/पत्तन क्रॉफ्टों से कूड़ा इकट्ठा करना होता है। ठेकेदार केवल उन्हीं पोतों से कूड़ा इकट्ठा करता है जिसे प्रभार्य आधार पर यह सेवा अपेक्षित होती है। प्रभार वसूल करने से पहले और बाद के आंकड़े नीचे दिए गए हैं:–
<table>
<tr><th colspan="2">निःशुल्क सेवा</th><th colspan="2">प्रभार्य सेवा</th></tr>
<tr><th>मह</th><th>पोतों की सं.</th><th>माह</th><th>पोतों की सं.</th></tr>
<tr><td>नवम्बर 08</td><td>77</td><td>फरवरी 09</td><td>30 (15वीं + 15 टग)</td></tr>
<tr><td>दिसम्बर 08</td><td>77</td><td>मार्च 09</td><td>28 (13 वीं + 15 टग)</td></tr>
</table>
(v). बड़ी संख्या में जलयान जेएनपीटी में कूड़ा उतार रहे थे, क्योंकि 15–1–2009 से पहले यह सेवा निःशुल्क थी। 15–1–2009 के बाद, यह सेवा उपयोग करने वाले पोतों की संख्या तेजी से कम हुई है। इसे यह संकेत माना जा सकता है कि पोत जेएनपीटी में कूड़ा इकट्ठा कर रहे थे। इसी कारण से, हो सकता है कि निकटवर्ती टर्मिनलों (जीटीआईपीएल और एनएसआईसीटी) भी इस सेवा के लिए जलयानों से प्रभार वसूल कर रहे हों।
(vi). कूड़ा इकट्ठा करने की सेवा के लिए वर्तमान में करार मूल्य 1,44,000/– है। करार में दूसरे वर्ष के लिए 5 प्रतिशत की वृद्धि दी गई हो। प्रत्येक नए करार में, लागत भी बढ़ सकती है। इसके अलावा, जेएनपीटी को भी समान प्रशासनिक लागतें/उपरिव्यय प्रोद्भूत करने होते हैं। उपर्युक्त से, औसत 30 सं. पोत प्रति माह पर विचार करते हुए आंकड़ा, राजस्व वसूली रु0 1,80,000/– (30*12*500) प्रतिवर्ष होगी।
(vii). 'मारपोल' के अनुसार, जलयान सृजित बेकार सामग्रियों के लिए स्वागत सुविधा उपलब्ध करवाना अनिवार्य है। यह देखा गया है कि प्रत्येक पत्तन स्वागत सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए प्रभार वसूल कर रहे हैं। डीजी शिपिंग ने इंग. परिपत्र सं. 31 एवं 32 द्वारा जलयान सृजित बेकार सामग्रियों के लिए स्वागत सुविधा हेतु दिशानिर्देश दिए हैं। परिपत्र सं. 31 के खंड 3.0 में स्पष्ट रूप से
</td>
</tr>
<tr>
<td>(ii).</td>
<td>जेएनपीटी ने उल्लेख किया है कि न्हावा शेवा इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल लिमिटेड (एनएसआईसीटी) और गेटवे टर्मिनल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (जीटीआईपीएल) कूड़ा स्वागत सुविधा के लिए प्रभार वसूल करते हैं। जेएनपीटी द्वारा यह भी उल्लेख किया गया है कि एनएसआईसीटी स्लज ऑयल प्रहस्तन के लिए प्रभार वसूल करता है। इस प्राधिकरण द्वारा आदेश दिनांक 30 दिसम्बर 2008 और 23 अगस्त 2006 द्वारा अधिसूचित क्रमशः एनएसआईसीटी और जीटीआईपीएल के दरमान में उक्त निजी टर्मिनलों में कूड़ा स्वागत सुविधा प्रचालित करने और तेलीय बेकार सामग्रियों के प्रहस्तन के लिए कोई दर निर्धारित नहीं की गई है। ऐसी स्थिति में, यह स्पष्ट नहीं है कि कौन–सी प्रशुल्क व्यवस्था के अधीन जेएनपीटी में निजी टर्मिनल प्रचालक प्रतिवेदित प्रभार वसूल करते हैं। जेएनपीटी से अनुरोध है कि इस मामले की छानबीन करने के लिए महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 के प्रावधानों के अधीन लाइसेंसदाता के रूप में अपनी क्षमता और अपने उत्तरदायित्व के बारे में देखें और बताएं कि एनएसआईसीटी और जीटीआईपीएल इस प्राधिकरण से अनुमोदन के बिना उक्त प्रभार कैसे वसूल कर रहे हैं।</td>
</tr>
</table>

		कहा गया हैः ''प्रदूषण करने वाला अदायगी करता है के सिद्धांत के अंतर्गत, बेकार सामग्री स्वागत सुविधा उपलब्ध करवाने की लागत जलयान प्रचालकों से पूरी की जानी चाहिए''। (viii). अब वसूल किए जा रहे शुल्क मामूली हैं, जिसका मकसद कूड़े की डम्पिंग रोकने के लिए अवरोधक के रूप में कार्य करना है। (ix). चूंकि अधिसूचित दरमान में कोई विशिष्ट प्रभार उपलब्ध नहीं है, इसलिए प्रस्तावित दर तब तक तदर्थ आधार पर वसूल की जा सकती है जब तक टीएएमपी द्वारा दर अंतिम रूप से अनुमोदित नहीं की जाती है। यह खंड 2.17.2 के अधीन टीएएमपी द्वारा जारी किए गए दिशानिर्देशों के अनुसार है।

5.1. जैसाकि पहले बताया गया है, जेएनपीटी ने यह कहा था कि एनएसआईसीटी कूड़ा स्वागत सुविधा के लिए रु0 500/– प्रति टन का प्रशासनिक प्रभार और तेलीय बेकार सामग्रियों (स्लज ऑयल) के लिए हर बार रु0 5000/– वसूल करता है। दिसम्बर, 2008 में अनुमोदित एनएसआईसीटी के दरमान में कूड़ा स्वागत सुविधा और तेलीय बेकार सामग्रियों के लिए कोई दर निर्धारित नहीं की गई है। इसलिए, एनएसआईसीटी से स्थिति स्पष्ट करने का अनुरोध किया गया था। अनुस्मरण करवाने के बाद, एनएसआईसीटी ने निम्नलिखित निवेदन किए हैंः–

(i). <u>तेलीय बेकार सामग्रियों (स्लज ऑयल) के लिए प्रभार</u>

स्लज ऑयल को सुरक्षित तरीके से हटाने के लिए ठेकेदारों से प्रशासनिक प्रभार वसूल किया जाता है। एनएसआईसीटी टर्मिनल के वातावरण, सम्पत्ति, और सुरक्षित कार्य स्थितियों को बिना नुकसान पहुंचाए जलयानों से स्लज को सुरक्षित तरीके से हटाने और ले जाने में सहायता प्रदान करता है। ये वसूलियां पत्तन उपयोक्ताओं से नहीं की जा रही हैं अपितु जेएनपीटी द्वारा पूर्व–प्राधिकृत वेंडरों से वसूल की जा रही है जो स्लज ऑयल इकट्ठा कर रहे हैं। एनएसआईसीटी ऑयल स्पिलेज़, यदि कोई हो, से निपटने के लिए इन प्रचालनों के दौरान अपेक्षित प्रशिक्षित स्टॉफ के साथ ऑयल स्पिल किट तैयार रखी जाती है। चूंकि केवल यही एक गतिविधि है जो शिपिंग लाइन के अनुरोध पर की जाती है और लागत ठेकेदारों से वसूल की जाती है, इसलिए इसे अधिसूचित किए जाने के लिए प्रस्तावित नहीं किया गया था।

(ii). <u>कूड़ा निपटान के लिए प्रभार</u>

शिपिंग लाइनों के अनुरोध पर, एनएसआईसीटी कूड़े को इकट्ठा करने और जेएनपीटी द्वारा नामांकित स्थान पर उसका निपटान करने के लिए जेएनपीटी द्वारा विधिवत् प्राधिकृत ठेकेदार तैनात करता है। प्रशासनिक प्रभार वसूल किया जाता है।

(iii). वसूल की गई राशि पिछले प्रशुल्क आवेदन में एनएसआईसीटी द्वारा वास्तविक आय में प्रतिवेदित की गई थी। यदि इस प्राधिकरण को ऐसा लगता है कि इसे दरमान में शामिल किए जाने की जरूरत है तो ऐसा अगले प्रशुल्क चक्र के दौरान किया जा सकता है।

5.2. जेएनपीटी ने भी उल्लेख किया है कि जीटीआईपीएल के वेस्ट मेनेजमेंट प्लॉन के अनुसा, बेकार सामग्री स्वागत सुविधा प्रभार्य आधार पर है। अगस्त 2006 में अनुमोदित जीटीआईपीएल का दरमान कूड़ा स्वागत सुविधा के लिए कोई दर निर्धारित नहीं करता है। जीटीआईपीएल से स्थिति स्पष्ट करने का अनुरोध किया गया था। जीटीआईपीएल ने निम्नलिखित स्पष्ट किया हैः–

(i). दरमान जलयानों से कूड़ा इकट्ठा करने के लिए कोई दर निर्धारित नहीं करता है। यह गतिविधि ग्राहकों के अनुरोध पर मामला–दर–मामला आधार पर जीटीआईपीएल द्वारा की जाती है।

(ii). यह गतिविधि से ज्यादा ट्रेड को सहायता प्रदान करना है जो उनके लिए पोतों से/पर कंटेनरों की उतराई/लदाई से पहले कूड़ा हटाने के लिए जरूरी है।

(iii). इस गतिविधि को करने की बारम्बारता बहुत कम है। यह सेवा प्रदान करने और प्रभार वसूल करने के लिए अभी तक ट्रेड ने कोई शिकायत नहीं की है।

(iv). जीटीआईपीएल अपने अगले एसओआर में इस गतिविधि के लिए भी दर शामिल करेगा और टीएएमपी की मंजूरी प्राप्त करेगा।

6. इस मामले में संयुक्त सुनवाई 27 नवम्बर 2009 को इस प्राधिकरण के कार्यालय में आयोजित की गई थी। जेएनपीटी ने प्रस्ताव स्पष्ट किया था और उल्लेख किया था कि 'मारपोल' के अनुसार जलयान से कूड़ा इकट्ठा करने के लिए स्वागत सुविधा प्रदान करना जेएनपीटी के लिए अनिवार्य है और प्रस्तावित प्रशुल्क, इस पर लादे जा रहे किसी अतिरिक्त उपरिव्यय के बिना, केवल प्रत्यक्ष लागत पर आधारित है। संयुक्त सुनवाई में उपस्थित उपयोक्ताओं ने प्रस्तावित दर को उपयुक्त मानते हुए सर्वसम्मति से समर्थन किया है।

7. इस मामले में परामर्श संबंधी कार्यवाहियां इस प्राधिकरण के कार्यालय के अभिलेखों में उपलब्ध हैं। ये ब्योरे हमारी वेबसाइट http://tariffauthority.gov.in पपर भी उपलब्ध करवाए जाएंगे।

8. इस मामले पर कार्यवाही के दौरान एकत्र की गई समग्र सूचना के संदर्भ में, निम्नलिखित स्थिति प्रकट होती हैः–

(i). जेएनपीटी द्वारा उल्लिखित 'मारपोल' सम्मेलन एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है जो प्रचालन अथवा आकस्मिक कारणों से जलयानों द्वारा समुद्र के वातावरण को प्रदूषण से बचाने के लिए है। 'मारपोल' के अनुसार जलयानों से कूड़ा इकट्ठा करने के लिए अनिवार्य है। जेएनपीटी अपने कंटेनर टर्मिनल और शैलो वॉटर बर्थों में आने वाले पोतों से कूड़ा इकट्ठा करने की व्यवस्था पिछले कुछ समय तक ठेकेदार के माध्यम से निःशुल्क कर रहा था। अब, पत्तन ने 15 जनवरी 2009 से रु0 500/– तदर्थ आधार पर वसूल करने की शुरूआत की है और इस दर के अनुमोदन और अधिसूचना के लिए इस प्राधिकरण के समक्ष प्रस्ताव दाखिल किया है।

(ii). जब कभी किसी सेवा/कार्गो के लिए अधिसूचित दरमान में विशिष्ट प्रशुल्क उपलब्ध न हो तो मार्च 2005 के प्रशुल्क दिशानिर्देशों का खंड 2.17.1 से 2.17.4 पत्तन अथवा निजी टर्मिनल को उपयुक्त प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अनुमति देता है। समान्तरतः, प्रस्ताव प्रस्तुत करने के साथ, पत्तन प्रस्तावित तदर्थ आधार पर तब तक वसूल कर सकता है जब तक दरें अंतिम रूप से अधिसूचित नहीं की जाती हैं, बशर्ते तदर्थ दर तुलनीय सेवा/कार्गो के लिए मौजूदा अधिसूचित प्रशुल्क के आधार पर विपथित किया जाए और पत्तन/टर्मिनल तथा संबद्ध उपयोक्ता परस्पर रूप से सहमत हों।

(iii). जेएनपीटी के मामले में, पत्तन ने प्रभार वसूल करना शुरू कर दिया है और इस प्राधिकरण के समक्ष प्रस्ताव दाखिल किया गया है। पत्तन यह सेवा ठेकेदार के माध्यम से आउटसोर्सिंग करते हुए प्रदान करता है और इस स्थिति में नहीं है कि इस प्रभार के लिए लागत ब्योरे उपलब्ध करवाए जाएं। तथापि, जेएनपीटी ने बताया है कि प्रस्तावित दर पर लादे गए किसी अतिरिक्त उपरिव्यय के बिना प्रस्तावित दर केवल प्रत्यक्ष लागत पर आधारित है। पूर्ववर्ती अनुच्छेद में उद्धरित दिशानिर्देशों में विनिर्दिष्ट उपयोक्ताओं की सहमति के संदर्भ में, उपयोक्ताओं ने सर्वसम्मति से इस मामले की कार्यवाहियों के दौरान प्रस्तावित दर का समर्थन किया है।

(iv). ठेकेदार के माध्यम से सेवा प्रदान करने के लिए, जेएनपीटी ने ठेका मूल्य रु0 144000/– प्रतिवर्ष तैयार किया है। यदि यह सेवा प्रदान करने के लिए पत्तन के लिए प्रत्यक्ष लागत के रूप में लिया जाता है तो जिसमें मामले में पोतों की संख्या, यह सेवा रु0 500/– प्रति पोत की दर पर उपलब्ध करवाई जाएगी जो 24 पोत प्रति माह होगा जोकि इसके मामले में पोतों की वास्तविक संख्या के करीब है, यह सेवा पत्तन द्वारा तदर्थ आधार पर प्रभार की वसूली शुरू करने के बाद उपलब्ध करवाई गई थी।

(v). जेएनपीटी द्वारा पुष्टि की गई स्थिति स्वीकार करते हुए, प्रस्तावित दर पर लादे जा रहे किसी अतिरिक्त उपरिव्यय के बिना केवल प्रस्तावित दर पर आधारित है और उपयोक्ताओं के समर्थन को ध्यान में रखते हुए कि प्रस्तावित दर उपयुक्त है, यह प्राधिकरण प्रस्तावित दर अनुमोदित करने के लिए उसी प्रकार प्रवृत्त है जिस प्रकार 'मारपोल' सम्ममेलन के अनुसार यह सेवा उपलब्ध करवाना अनिवार्य है।

(vi). इसके द्वारा यथा प्रतिवेदित, पत्तन ने उक्त सुविधा प्राप्त करने के लिए रु0 500 प्रति जलयान/किराये पर लिया गया क्रॉफ्ट का प्रभार तब तक तदर्थ आधार पर वसूल करना शुरू कर दिया है जब तक इस प्राधिकरण द्वारा दर अधिसूचित नहीं की जाती है। मार्च, 2005 के प्रशुल्क दिशानिर्देशों का खंड 2.17.4 इस प्राधिकरण को अधिकार देता है कि वह तदर्थ रूप में अंगीकृत अंतरिम दर को पूर्वव्यापी प्रभाव से मान्यता दे सकता है। इसलिए, रु0 500 की दर तदर्थ आधार पर कार्यान्वित करने के लिए जेएनपीटी का उपाय उपयोक्ता संगठनों द्वारा प्रस्तावित दर के सर्वसम्मत समर्थन के मद्देनजर अनुमोदित किया गया है।

(vii). अन्य दो निजी कंटेनर टर्मिनल प्रचालकों, नामतः जेएनपीटी में एनएसआईसीटी और आईजीटीपीएल ने बताया है कि वे भी प्रभारों की वसूली मामला–दर–मामला आधार पर वसूल करते हैं। तथापि, इस प्राधिकरण ने यह सेवा प्रदान करने के लिए कोई प्रभार वसूल करने के लिए जेएनपीटी सहित किसी भी प्रचालक को कोई प्राधिकार नहीं दिया है। एमपीटी अधिनियम, 1963 के प्रावधानों के अधीन लाइसेंसदाता के रूप में इसकी क्षमता और इसके उत्तरदायित्व के निवर्हन के बारे में पूछताछ करने के लिए पूछे गए हमारे प्रश्नों पर जेएनपीटी ने कोई सीधी टिप्पणी नहीं दी है कि एनएसआईसीटी और जीआईटीपीएल ने इस प्राधिकरण से बिना अनुमोदन के उक्त प्रभार वसूल करना कैसे शुरू किया। जैसाकि एनएसआईसीटी और जीआईटीपीएल के प्रतिसाद से देखा जा सकता है, वे अपने तत्संबंधी दरमान में उपयुक्त प्रावधान शामिल करने के लिए सामान्यतः सहमत हैं।

(viii). इस कार्यवाही में यह प्रकट होता है कि जेएनपीटी में सभी तीन प्रचालक एक या अन्य तरीके से यह सेवा प्रदान करते हैं। ऐसी स्थिति में, यह उपयुक्त होगा कि वैयक्तिक सेवा प्रदाता के संदर्भ में गए बिना इस सेवा के लिए जेएनपीटी में एकसमान रूप से लागू किए जाने के लिए एक अधिकतम दर निर्धारित की जाए।

मार्च 2005 के प्रशुल्क दिशानिर्देशों का खंड 7.2 इस प्राधिकरण को अधिकार देता है कि वैयक्तिक सेवा प्रदाता का संदर्भ लिए बिना संबद्ध पत्तनों पर एकसमान रूप से लागू करने के लिए अधिकतम दरें निर्धारित की जाएं। इस प्रयोजन के लिए, इन प्रभारों को विनियमित करने के प्रस्तावों पर यह पहचान करने के बाद संबद्ध महापत्तन न्यास द्वारा कार्यवाही शुरू की जाएगी कि ऐसी प्राधिकृत सेवाएं प्रशुल्क विनियमन के दायरे में आती हों। जेएनपीटी द्वारा दाखिल किया गया प्रस्ताव दिनांक 3 फरवरी 2009 मार्च, 2005 के प्रशुल्क दिशानिर्देशों के खंड 7.2 के प्रयोजन के लिए पत्तन से प्राप्त प्रस्ताव के रूप में मानते हुए, यह प्राधिकरण, उपर्युक्त कारणों से, जेएनपीटी में जलयान/किराये पर लिए गए पत्तन क्राफ्ट पर कूड़ा इकट्ठा करने वाले के प्रत्येक आगमन के लिए रु0 500 की प्रस्तावित दर वैयक्तिक सेवा प्रदाता के संदर्भ में गए बिना समग्र जेएनपीटी में एकसमान रूप से लागू की जाने वाली अधिकतम दर के रूप में अनुमोदित करने के लिए प्रवृत्त है।

9.1. परिणामस्वरूप, और उपर्युक्त कारणों से, और समग्र विचार–विमर्श के आधार पर, यह प्राधिकरण जेएनपीटी के दरमान में अध्याय– II (पोत संबंधित प्रभार) में मौजूदा खंड 2.4 – स्वच्छ पानी प्रभारों की अनुसूची के बाद निम्नलिखित प्रावधान शामिल करना अनुमोदित करता हैः–

"2.5. कूड़ा इकट्ठा करने के प्रभारों की अनुसूचीः

क्र.सं.	विवरण	इकाई	जलयान/किराये पर लिए गए पत्तन क्रॉफ्ट से कूड़ा इकट्ठा करने के लिए दर प्रति जलयान/किराये पर लिया पत्तन क्रॉफ्ट प्रति आगमन
1.	जलयानों और किराये पर लिए गए पत्तन क्रॉफ्टों से कूड़ा इकट्ठा करने के लिए प्रभार।	रु0	500-00

9.2. जेएनपीटी को निदेश दिया जाता है कि अपने दरमान को उपयुक्ततः संशोधित करे। दरमान में ये संशोधन भारत के राजपत्र में इस आदेश की अधिसूचना के तत्काल पश्चात प्रभावी हो जाएंगे क्योंकि तदर्थ दर पहले से प्रचालन में है।

9.3. जेएनपीटी, भूस्वामी पत्तन, यह सुनिश्चित करेगा कि उपर्युक्त अधिकतम दर सम्पूर्ण पत्तन में लागू की जाए।

(रानी जाधव)
अध्यक्षा